

1



बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूरोप के अन्य सभी देश  
(राष्ट्रकूल की स्वतंत्र सरकारों को छोड़कर) और उत्तर  
अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर  
परदेशगमन के लिए जांच आवश्यक  
Emigration Check Required (ECR) except for  
Bangladesh, Pakistan all countries  
in Europe (Excluding Commonwealth of  
Independent States (CIS), North America, Japan,  
New-Zealand and Australia."

उत्प्रवास दर्जा:  
Emigration Status

उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं।  
Emigration Check Not Required (ECNR)



*Eane*  
**शकुन्तला राने / SHAKUNPALA RANE**  
अधिक्षक / Superintendent  
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई.  
Regional Passport Office, Mumbai.

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। / This passport contains 36 pages.

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने को निकटतम भारतीय मिशन / पोस्टी पर पंजीकृत करवा लें।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी से इस पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सूचना मिलने पर जिसमें इसे सुर्द कला शामिल है, उसका तुल्य अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धाक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या विकृत नहीं किया जाना चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त जाना, चोरी हो जाना या नष्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल भारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को (तथा यदि धाक विदेश में हो) निकटतम भारतीय मिशन को और स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए। निम्नलिखित पुछताछ के परचात ही अधिकृत पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES, SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

रिजिस्टर कर नाम/काउन्सिल ऑफिसर/ Name of Father/Legal Guardian

GADA HIREN

जन्म कर नाम / Name of Mother

GADA MADHURI

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

PORBANDERWALA ESTATE

14/B DR. MASCARENHAS ROAD, MAZAGON

MUMBAI- 400 010

इसकी संख्या/कॉपी कर नं. और प्रकृतिकार का नाम एवं स्थिति / Old Passport No. with date and place of issue

कार्ड नं. / File No.

G-001662/01

2